

1. मेरे पास 04 से अधिक कुत्ते नहीं हैं।
2. मैं कुत्ते पंजीकृत पशु चिकित्सक से रेबीज का टीका लगवाकर सुरक्षित रखूंगा।
3. मैं नगर निगम प्राधिकारी या नगर निगम के पशु चि० कल्याण अधिकारी द्वारा मांगे जाने/निरीक्षण पर टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा।
4. मैं कुत्ते को बाहर ले जाते समय चैन/पट्टे से बांध कर रखूंगा।
5. यदि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की संपत्ति को मेरा कुत्ता काटता है या कोई अन्य नुकसान पहुंचाता है तो मैं उस व्यक्ति को मुआवजा दूंगा।
6. मैं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कुत्तों के प्रजनन और नगर निगम के क्षेत्रों में कुत्तों के व्यापार में शामिल नहीं होऊंगा।
7. मैं कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों जैसे आवासीय क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट, पार्क, गलियों, सड़कों, सड़क के किनारे और अन्य सामान्य स्थानों आदि पर शौच करने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि मेरा कुत्ता उपरोक्त निर्दिष्ट स्थान पर शौच करता है, तो मैं अपने स्तर पर कुत्ते के मल को उक्त स्थान से हटाने की व्यवस्था करूंगा। मैं कुत्ते को अन्य व्यक्तियों, पड़ोसियों के आवास के पास शौच करने की अनुमति नहीं दूंगा, जिससे वे परेशान हों।
8. मैं कुत्ते के लिए उचित स्थान, आवास, भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करूंगा।
9. मैं कुत्ते को हर समय अपने नियंत्रण में रखूंगा, ताकि वह किसी व्यक्ति को न डराए, परेशान न करे, चोट न पहुंचाए या काट न सके। मैं अपने कुत्ते के कारण किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या चोट के लिए नगर निगम गोरखपुर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और पीड़ित को मुआवजा देने का एकमात्र दायित्व मेरा रहेगा।